संख्या-45/2024 /001-660-24-1-2024-3780-2012

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2024

विषय:-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-84/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक /2024-25/453, दिनांक 20 अप्रैल, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-4801-05-789-04-30 में प्राविधानित धनराशि रूपये 400,00,00,000/- (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को माह मई, 2024 से माह फरवरी, 2025 तक धनराशि रूपये 40,00,00,000/- (रूपये चालीस करोड़ मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वास्तविक आवश्यकता होने पर विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु यू0पी0पी0सी0एल0/डिस्काम्स के बिजनेस प्लान के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उपयोग की गयी धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(6) इस संबंध में स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो। यथासम्भव अवमुक्त धनराशि का उपयोग किये जाने में उन कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाये जो प्रारम्भ किये जा चुके हो तथा अधूरे पड़े हो।

(8) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ठ शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों के अन्तर्गत निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की किश्त के व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित अगली किश्त का मांग पत्र देय तिथि से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

(11) वित्तीय वर्ष 2023-24 में आहरित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,00,000 (रुपये चार अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4801057890400 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूंजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-16-X-2024-25-दिनांक: 21-5-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।

संख्या-45(1)/2024/001-660(1)-24-1-2024-3780-2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

3- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।